राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0 जयपुर

4,भवानी सिंह रोड़,जयपुर–302001

फोन : 0141–2740203,2740684

ई–निविदा

वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजफैड की गैस एजेन्सी के उपभोक्ताओं के घर पर सिलेण्डर वितरण कार्य हेतु ऑन–लाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है

निविदा की तिथि,समय, शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु दिनांक 11.02.2019 से वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rajfed.gov.in पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाईट पर दिया जावेंगा।

गैस परिवहन हेतु आवेदन पत्र

क्रं.सं	परिवहनकर्ता	विवरण
1.	परिवहनकर्ता का नाम	
2.	परिवहनकर्ता के पिता का नाम	
3.	आयु (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
4.	वर्तमान पता	
5.	स्थाई पता	
7.	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें)	
8.	अनुभव (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
9.	गैस वितरण हेतु स्वंय के साधन का विवरण (वाहन पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करें)	
10.	प्रति सिलेण्डर परिवहन / वितरण (BOQ Rate)	(शब्दों में) ....
		(अंकों में) ....
11.	अनुबन्ध की शर्त संख्या–3 के अनुसार दो सम्मानीय व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	
12.	निवास प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड,वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के बिल की फोटो प्रति संलग्न करें।	
13.	स्थाई खाता संख्या की प्रति(पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करें)	
14.	स्वंय का स्थाई मोबाईल नम्बर	
15.	निविदा की शर्त अनुबन्ध का पार्ट माना जावेगा।	

परिवहन निविदा की शर्ते

1— निविदा दिनांक 28.02.2019 को 1.00 बजे तक भरी जावेगी, एवं इसी दिन सायः 4.00 बजे खोली जावेंगी।

2— प्रत्येक परिवहनकर्ता के आवेदन फार्म के साथ 70,000 रू. मात्र की डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि बतौर प्रतिभूति एवं आवेदन शुल्क राशि 500 रू. का डी.डी. आर.आर.एस.के.वी.एस. जयपुर के नाम एवं 1000 रू. एम.डी.(आर.आई.एस.एल.) जयपुर के नाम से जमा कराना होगा। स्वीकृत परिवहनकर्ता को अनुबन्ध के पूर्व 1,00,000 लाख रू. की किसी बीमा कम्पनी से राजफैड के पक्ष में फिडीलिटी गारन्टी देनी होगी, जमा राशि पर राजफैड द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

3— किन्ही दो सम्मानीय व्यक्तियों से गत तीन वर्षो की जानकारी हेतु चरित्र प्रमाण'—पत्र संलग्न किया जाना होगा।

4— प्रत्येक परिवहनकर्ता को अनुभव प्रमाण—पत्र के रूप में किसी गैस एजेन्सी का एक वर्ष का वितरण कार्य करने का अनुभव प्रमाण—पत्र देना होगा।

5— प्रत्येक परिवहनकर्ता को हिन्दी में लिखने पढने का ज्ञान होना आवश्यक है।

6— प्रत्येक परिवहनकर्ता को नियुक्ति किये गये डिलीवरी मैन को इण्डियन ऑयल के द्वारा निर्धारित वर्दी में वितरण कार्य करना होगा एवं राजफैड के द्वारा दिये गये परिचय पत्र एवं स्वंय का मोबाईल चालु हालत में साथ रखना होगा। आई.ओ.सी द्वारा निर्धारित वर्दी, तोलने का कांटा, मोबाईल एवं फॉयर इक्यूमेन्ट गाड़ी में डिलीवरी मैन के स्वंय के खर्चे पर रखना आवश्यक होगा।

7— डिलीवरी मैन द्वारा रखे गये कर्मचारी को इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित वर्दी में आना होगा तथा परिचय पत्र, कांटा एवं मोबाईल चालु हालत में साथ रखना होगा एवं इसकी सूचना राजफैड को देनी होगा। राजफैड द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भुगतान देय नहीं होगा।

8— निविदा आवेदन पत्र एक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लगानी होगी। जो कि राजपत्रित अधिकारी /नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करानी होगी।

9— यदि आवेदनकर्ता को किसी भी एजेन्सी द्वारा किसी गलत कार्य हेतु आरोपित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति आवेदन नहीं करें यदि करते है एवं तथ्य का राजफैड को पता चलता है तो सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

10— परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन 30 सिलेण्डरों से अधिक सिलेण्डर की सप्लाई करनी होगी।

11— प्रत्येक परिवहनकर्ता को इण्डियन ऑयल राजफैड के द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना की जानी होगी।

12— सिलेण्डर को पंजीकृत उपभोक्ता के स्थान पर किसी अन्य के यहॉ लगाने पर प्रति सिलेण्डर 1000 रू. आर्थदण्ड देना होगा।

13— एक माह में तीन बार से अधिक उपरोक्त क्र.सं 12 के अनुसार गलती दोहराने पर अनुबन्ध समाप्त करने एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार राजफैड का होगा।

14— आई.ओ.सी द्वारा कभी भी जॉच करने पर किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर लगाये जाने वाले दण्ड को परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। (जैसे डम्पिग,कम तौल और लीकेज आदि)

15— रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा पोईन्ट पर चैकिग की जाने पर लगाई जाने वाली दण्डनीय शास्ती एवं अन्य कोई कार्यवाही के लिए भी परिवहनकर्ता उत्तरदायी रहेगा एवं भविष्य के लिये राजफैड द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा।

16— संघ के गैस गोदाम से प्राप्त गये 14.2 किग्रा एल.पी.जी. के भरे सिलेण्डर को संघ को सौपने तक परिवहनकर्ता द्वारा अपनी जिम्मेदारी में बतौर अमानत सुरक्षित रखे जावेगे। सिलेण्डर गुम हो जाने पर परिवहनकर्ता से 2300 रू. वसूल किये जायेगें।

17— वितरण के लिये प्राप्त किये जाने वाले खाली एल.पी.जी सिलेण्डरों के नम्बर मिलाकर (चेक कर) प्राप्त किये जावेंगें एवं बदल में प्राप्त खाली सिलेण्डर के नम्बर मिलाकर रिफेल वाउचर एवं उपभोक्ता पुस्तिका में दर्ज कर एक रिफिल वाउचर उपभोक्ता को देगे एवं उपभोक्ता के हस्ताक्षर प्राप्त कर एक रिफिल वाउचर मय कूपन के सिलेण्डर नम्बर लिखकर कार्यालय में सिलेण्डरों की प्राप्त के साथ पर्ची व कूपन जमा करानी होगी।

18— राजफैड द्वारा जो रिफिल परिवहनकर्ता को दी जावेगी वह उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिवस गैस उपभोक्ता के सामने सील चैक करवाकर एवं गैस लीक/सही वजन की जॉच कराकर सही हालत में लगानी होगी अन्यथा खराब हालत में लगाने व देरी होने की स्थिति में होने वाली हानि की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

19— खाली सिलेण्डरों के नम्बर मिलान कर लिखकर गोदाम कीपर को संभलवाना होगा एवं गैस बिक्री की सम्पूर्ण राशि कार्यालय में अगले दिन प्राप्त 11 बजे तक जमा करानी होगी। राशि समय पर जमा न कराने की तिथि में परिवहनकर्ता की जमा सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी परिवहनकर्ता की ओर बकाया रह जाती है तो अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार वसूली की जावेंगी।

20— सिलेण्डर गोदाम से प्राप्त करने के पश्चात् एक स्थान पर इक्टठे नहीं किये जावेंगे एवं प्रत्येक उपभोक्ता के निवास स्थान पर जाकर सिलेण्डर वितरण कार्य किया जावेगा।

21— पंजीकृत उपभोक्ता को सप्लाई देकर ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी, साथ ही प्राप्ति रसीद उपभोक्ता से हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद के प्राप्त कूपन संलग्न कर लौटाना होगा।

22— ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी यदि ब्ल्यू बुक 3 प्रविष्टि नहीं पायी जाती है तो प्रत्येक के लिये 200 रू. अन्य शास्ती के अलावा वसूल किये जावेंगे।

23— सिलेण्डर सही स्थिति में यथा जॉच कर तौलकर उपभोक्ता के यहॉ अपने साधन से सप्लाई किये जावेंगे व तौलने के लिये तुलाई हेतु इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित उपकरण परिवहनकर्ता का स्वंय का होगा।

24— परिवहनकर्ता के द्वारा स्वंय का एवं परिवहन कार्य नियुक्त किये गये डिलीवरी मैन का नाम एवं पता चरित्र प्रमाण–पत्र, फोटो एवं मोबाईल नम्बर आदि का विवरण दिया जाना होगा।

25— प्रत्येक ठेकेदार को आवंटित क्षेत्र में बदलाव का अधिकार गैस इंचार्ज के विवके पर निर्भर होगा।

26— गैस विवरण का कार्य राजफैड द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में किया जावेगा।

27— सिलेण्डर सप्लाई के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन की अच्छी कन्डीशन होगी होनी चाहिये ज्यादा पुराने वाहन का उपयोग नहीं करें। वाहन पर इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित रंग होगा एवं शब्द अंकित रहेगें। जो कि परिवहनकर्ताओं के द्वारा अपने खर्च पर किया जावेगा। परिवहनकर्ताओं द्वारा स्वंय के खर्चे पर गाड़ी का निर्धारित समय पर पोल्युशेन एवं फिटेनस जॉच करवाना अनिवार्य होगा।

28— परिवहन कार्य हेतु प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक राजफैड का रहेगा।

29— परिवहन कार्य हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध की किन्ही शर्तो की पालना में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य क्षेत्र जयपुर होगा। सिक्यूरिटी राशि वाद का निपटारा होने पर ही लौटायी जायेगी।

30— राजफैड द्वारा परिवहन कार्य हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से निमयानुसार आयकर व अन्य लागु करों की कटौती की जावेंगी।

31— यदि परिवहनकर्ता को गैस वितरण में अधियमितता करने पर इण्डियन ऑयल, जिला रसद अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में होने वाली कनून कार्यवाही के लिये परिवहनकर्ता स्वंय जिम्मेदारी होगा। इस हेतु देस कानूनी फीस परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।

32— यदि किसी कारणवश परिवहनकर्ता वितरण कार्य हेतु स्वंय उपस्थित नहीं हो सकता है तो पूर्व में राजफैड गैस प्रभारी को सूचित करते हुये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य किसी दूसरे परिवहनकर्ता की व्यवस्था करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

33— गैस वितरण कार्य करने की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष की होगी। राजफैड द्वारा इस अवधि को 6 माह हेतु बढाया जा सकता है। राजफैड प्रशासन एवं परिवहनकर्ता की आपसी सहमति से इस अवधि को 6 माह पश्चात् एक वर्ष हेतु और बढाया जा सकता है।

34— कार्य अविध से पूर्व छोड़ने अथवा कार्य में अनियमिता पाये जाने पर प्रतिभूति राशि 70,000 रू. जब्त कर ली जावेगी।

35— उक्त शर्तो की सहमति बाबत 500 रू. के नॉन—ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर राजफैड के साथ स्वंय के खर्चो पर अनुबन्ध किया जाना होगा। मूल अनुबन्ध राजफैड के पास रहेगा एवं परिवहनकर्ता को उसकी फोटो प्रति दी जावेंगी।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता